

प्लास्टिक अपशषिट प्रदूषण चर्चा का वषिय

प्रलिमिस के लयि:

[नयित्तरक और महालेखा परीकषक \(CAG\)](#), [केंद्रीय प्रदूषण नयित्तरण बोर्ड \(CPCB\)](#), [लोक लेखा समति \(PAC\)](#), [वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव \(EPR\)](#), [प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016](#)

मेन्स के लयि:

प्लास्टिक अपशषिट प्रदूषण तथा इसका पर्यावरण एवं मानव स्वास्थय पर प्रभाव ।

[स्रोत:टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में एक संसदीय पैनल ने [नयित्तरक और महालेखा परीकषक \(CAG\)](#) की एक रपौरट का हवाला देते हुए देश में प्लास्टिक कचरे के अप्रभावी प्रबंधन पर चर्चा जताई ।

- पैनल ने इस मुद्दे को संबोधति करने के लयि अपने शथिलि दृषटकिण के लयि [केंद्रीय प्रदूषण नयित्तरण बोर्ड \(CPCB\)](#) की आलोचना की तथा साथ ही [पर्यावरण वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय](#) से समन्वय में सुधार करने एवं प्लास्टिक प्रदूषण से नपिटने के लयि ठोस कदम उठाने का आग्रह कयि ।

PAC रपौरट का नषिकर्ष क्या है?

- मंत्रालय के प्रयासों की सराहना: [लोक लेखा समति \(PAC\)](#) ने मई 2021 से प्लास्टिक कचरे पर मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार करने के साथ-साथ लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों से बचाने के लयि और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दयि ।
- प्लास्टिक अपशषिट उत्पादन में वृद्धि: प्लास्टिक अपशषिट उत्पादन वर्ष 2015-16 में 15.9 लाख टन प्रतविरष (TPA) से काफी हद तक बढ़कर वर्ष 2020-21 में 41.2 लाख TPA हो गया है ।
- अपरयुक्त प्लास्टिक अपशषिट तथा पर्यावरणीय प्रभाव: वर्ष 2019-20 के आँकड़ों से पता चलता है कि देश में कुल प्लास्टिक कचरे का 50% (34.7 लाख TPA) अपरयुक्त रह गया, जसिसे यह वायु, जल एवं मृदा को प्रदूषति करता है और अंततः मानव स्वास्थय को प्रभावति करता है ।
- डेटा अंतराल एवं वसिंगतयि: PAC ने CAG के वर्ष 2022 ऑडिटि नषिकर्षों से यह देखते हुए एक बड़ा डेटा अंतराल स्पष्ट कयि कि कई [राज्य प्रदूषण नयित्तरण बोर्ड \(SPCB\)](#) ने वर्ष 2016-18 की अवधि के लयि प्लास्टिक अपशषिट उत्पादन पर डेटा केंद्रीय प्रदूषण नयित्तरण बोर्ड (CPCB) को उपलब्ध नहीं कराया था ।
 - यह भी स्पष्ट कयि गया कि [SPCB](#) से प्राप्त डेटा को [CPCB](#) द्वारा मान्य नहीं कयि गया था और साथ ही कुछ मामलों में [शहरी स्थानीय नकियाँ \(ULB\)](#) द्वारा SPCB के साथ साझा कयि गए डेटा में वसिंगतयि थी ।
- प्लास्टिक के वकिल्प खोजने का महत्त्व: इसमें पाया गया कि "प्लास्टिक का लागत प्रभावी एवं भरोसेमंद वकिल्प ढूंढना" इसके उनमूलन के लयि एक पूरव शर्त थी ।

प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लयि क्या उपाय कयि गए हैं?

- वैश्वकि स्तर पर कयि गए उपाय:
 - प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का संकल्प:
 - वर्ष 2022 में भारत सहति [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा](#) के 124 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ वधिकि रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करने के लयि एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कयि ।
 - कलोजगि व लूप:
 - यह [एशिया और प्रशांत के लयि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग](#) की एक परयोजना है जसिका उद्देश्य

प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करने के लिये अधिक प्रभावशील नीतियाँ बनाने में शहरों की सहायता करना है।

- ग्लोबल टूरज़िम प्लास्टिक्स इनशिएटिव:
 - इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अभिकल्पित प्रतबिधताओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है।
- यूरोपीय संघ:
 - यूरोपीय संघ (EU) ने जुलाई 2021 में, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर दशा-नरिदेश जारी किये।
- भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
 - हार्ड-टू-कलेक्ट/रीसायकल एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबिध (SUP): पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय ने हार्ड-टू-कलेक्ट/रीसायकल एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतबिध लगाया।
 - 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक कैरी बैग के नरिमाण, आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतबिध लगा दिया गया।
 - प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये वसितारति नरिमाता उत्तरदायित्व (EPR) पर दशा-नरिदेश जारी किये गए।
 - ये दशा-नरिदेश EPR, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशषिट के पुनरचकरण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग और पुनरनवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिये अनविर्य लक्ष्य नरिधारति करते हैं।
 - स्थानीय नकिया की ज़मिमेदारी: प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय नकिया को प्लास्टिक अपशषिट के पृथककरण, संग्रह, प्रसंस्करण और नपिटान के लिये बुनयिदी ढाँचे की स्थापना सुनशचिति करना अनविर्य है।
 - अन्य महत्त्वपूर्ण पहल:
 - एकल-उपयोग प्लास्टिक के उनमूलन और प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन पर राषट्रीय डेशबोर्ड
 - इंडिया प्लास्टिक पैकट
 - प्रोजेक्ट रीप्लान (REPLAN)
 - राषट्रीय हरति अधकिरण (NGT)

PAC रपिरट की अनुशंसाएँ क्या हैं?

- वशिवसनीय डेटा मूल्यांकन का महत्त्व: डेटा में अंतराल को रेखांकित करते हुए, पैनल ने वातावरण में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशषिट की मात्रा का "वशिवसनीय मूल्यांकन" करने की आवशयकता व्यक्त की और कहा कि यह समस्या को कुशलतापूर्वक प्रबंधति करने की दशा में पहला कदम होना चाहिये।
- राषट्रीय डेशबोर्ड पर अनविर्य रपिरटिंग: इसने राषट्रीय डेशबोर्ड पर ऑनलाइन डेटा की "अनविर्य" रपिरटिंग की सफिरशि की।
- प्रवर्तन के लिये तत्काल और प्रभावी उपाय: EPR के अलावा तत्काल और प्रभावी कदम, जसिमें पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों तथा SUP के दुषप्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विकल्प खोजने पर अनुसंधान एवं वकिस कार्य के लिये धन उपलब्ध कराना, कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाना, पुनरनवीनीकृत प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। सामग्री और बढ़ती रीसाइकलिंग सुवधियों को "वास्तविक तौर पर SUP पर प्रतबिध को प्रभावी ढंग से लागू करने" के लिये उठाए जा सकते हैं।
- औद्योगिक प्रथाओं पर सत्रकता: यह देखने के लिये उद्योगों पर कड़ी नज़र रखने की आवशयकता है कि क्या उन्हें वास्तव में संग्रह और पुनरचकरण की आवशयकता है या इसके बदले वे झूठे दावे करते हैं।
- बॉटम-अप दृषटकिण को अपनाना: बॉटम-अप दृषटकिण अपनाने की भी आवशयकता है जहाँ देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम-से-कम एक प्लास्टिक अपशषिट रीसाइकलिंग इकाई होनी चाहिये।
- उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहति करना: उद्योगों या नजि संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसी इकाइयाँ स्थापति करने के लिये प्रोत्साहति कयि जाना चाहिये और बदले में उन्हें प्रभावी पारशिरमक उपायों के माध्यम से कचरा बीनने वालों के साथ मलिकर काम करना चाहिये।

केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB), एक वैधानिक संगठन है, जसिका गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) अधनियिम, 1974 के तहत कयि गया था।
- CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) अधनियिम, 1981 के तहत शक्तियाँ तथा कार्य भी सौंपे गए थे।
- यह एक कषेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

लोक लेखा समति (Public Accounts Committee- PAC)


- PAC तीन वतितीय संसदीय समतियों में से एक है, अन्य दो प्राककलन समति और सार्वजनिक उपकरण समति हैं।
- संसदीय समतियाँ अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के वशिषाधिकारों पर) और अनुच्छेद 118 (अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को वनियमति करने के लिये नयिम बनाने हेतु संसद के अधिकार पर) से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
- स्थापना:
 - लोक लेखा समति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधनियिम, 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जसिमें मॉंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
 - लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नयिमों के नयिम 308 के तहत अब प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समति का गठन कयि जाता है।
- नयिकता:
 - समतिके अध्यक्ष की नयिकता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

- गौरतलब है कि चूँकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे नरिणय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृत के हों।

■ सदस्यः

- इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवधि के साथ **22 सदस्य** (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य) शामिल होते हैं।

//



EPR क्या है?

- यह उत्पादकों को उनके जीवन चक्र के दौरान उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार बनाता है।
- EPR का उद्देश्य बेहतर अपशष्टि प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगरपालिकाओं पर बोझ कम करना है।
- यह पर्यावरण की लागत को उत्पाद की कीमतों में एकीकृत करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे उत्पादों के डिज़ाइन को प्रोत्साहित करता है।
- EPR विभिन्न प्रकार के अपशष्टि पर लागू होता है, जिसमें प्लास्टिक अपशष्टि, ई-अपशष्टि और बैटरी अपशष्टि शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न.1 भारत में नमिनलखिति में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण वशिषता के रूप में 'वसितारति उत्पादक दायतित्व' आरंभ कथिा गया था? (2019)

- जैव चकितिसा अपशष्टि (प्रबंधन और हसतन) नयिम, 1998
- पुनरचक्रति प्लास्टकि (नरिमाण और उपयोग) नयिम, 1999
- ई-अपशष्टि (प्रबंधन और हसतन) नयिम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक वनियिम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न. 2 राष्ट्रीय हरति अधकिरण (एन. जी. टी.) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भनिन है? (2018)

1. एन.जी.टी. का गठन एक अधनियिम द्वारा कथिा गया है जबकिसी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से कथिा गया है।
2. एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता कराता है जबकिसी.पी.सी.बी. झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित कराता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/concerns-raised-on-plastic-waste-pollution>

